NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST
(Public Welfare • Justice • Development)
(A Social Institution Established under Central Act No. 2 of 1882)
Establishment No. – 212/IV/2026
Office : 670, Model Colony, Ranipur Mod, Haridwar (Uttarakhand) 249407
Email : npst.india@gmail.com

पत्रांक सं० – NPST/111/2026 दिनांक – 21.08.2026

सेवा में,

1. **श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल,**
   माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)
   ईमेल – highcourt-ua@nic.in
2. **श्रीमान सचिव,**
   इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
   भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, नई दिल्ली
   ईमेल – secretary@meity.gov.in
3. **श्रीमान प्रमुख सचिव (गृह विभाग)**
   उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, सुभाष रोड, देहरादून
   ईमेल – bagaulis@ias.nic.in
4. **श्रीमान सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)**
   उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, सुभाष रोड, देहरादून
   ईमेल – jhank@ias.nic.in

विषय : माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24/07/2026 को पारित आदेश के अनुपालन में न्यायालयीन कार्यवाहियों की रिकॉर्डेड वीडियो/लाइव स्ट्रीमिंग क्लिप्स को सोशल मीडिया एवं यूट्यूब आदि डिजिटल मंचों से तत्काल हटवाए जाने तथा उनके अवैध मुद्रीकरण (Monetisation) को रोकने के संबंध में।

महोदय,

नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट एक जनहित एवं लोककल्याण के उद्देश्य से कार्यरत संस्था है, जिसका प्रमुख उद्देश्य संविधान के मूल्यों, प्रशासनिक पारदर्शिता, विधि के शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नागरिकों की सुरक्षा तथा सुशासन को प्रोत्साहित करना है एवं उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रिट याचिका (सिविल) संख्या 751/2026** में दिनांक 24/07/2026 को एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि न्यायालयीन कार्यवाहियों की ऑडियो–वीडियो रिकॉर्डिंग का बिना सक्षम अनुमति के निष्कर्षण, प्रसार, मुद्रीकरण (Monetisation), पोस्टिंग, पुनः पोस्टिंग, अपलोडिंग, प्रसारण, संशोधन, भंडारण अथवा किसी डिजिटल मंच पर होस्टिंग नहीं की जाएगी। उक्त आदेश के अनुसार ऐसी सामग्री केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव अथवा संबंधित उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की पूर्व अनुमति से ही उपलब्ध कराई जा सकती है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को सभी उच्च न्यायालयों की वेबसाइटों पर सार्वजनिक जानकारी हेतु अपलोड किए जाने का भी निर्देश दिया है।

उक्त स्पष्ट न्यायिक निर्देश के बावजूद यह गंभीर रूप से संज्ञान में आया है कि विभिन्न सोशल मीडिया खातों, यूट्यूब चैनलों तथा अन्य डिजिटल मंचों पर न्यायालयीन कार्यवाहियों की लाइव स्ट्रीमिंग से रिकॉर्ड की गई वीडियो क्लिप्स एवं संपूर्ण न्यायिक कार्यवाही के वीडियो अभी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। अनेक खाताधारक एवं चैनल संचालक इन वीडियो को अपने चैनलों पर बनाए रखकर विज्ञापनों, व्यूज़ तथा अन्य माध्यमों से आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह स्थिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट अंतरिम निर्देश की भावना एवं उद्देश्य के प्रतिकूल प्रतीत होती है। न्यायालयीन कार्यवाही का उद्देश्य पारदर्शिता है, न कि निजी व्यक्तियों अथवा सोशल मीडिया संचालकों द्वारा न्यायिक सामग्री का व्यावसायिक उपयोग कर आर्थिक लाभ अर्जित करना। ऐसी सामग्री का अनधिकृत प्रसार न्यायपालिका की गरिमा, न्यायिक कार्यवाहियों की पवित्रता तथा न्यायालय द्वारा निर्धारित नियामक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट जनहित में आपसे निम्नलिखित कार्यवाहियाँ तत्काल सुनिश्चित किये जाने का अनुरोध करता है :–

a) सभी संबंधित अधिकारी/विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर उत्तराखण्ड राज्य से संबंधित न्यायालयीन कार्यवाहियों की ऐसी समस्त रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव–स्ट्रीमिंग क्लिप्स, ऑडियो–वीडियो अंश एवं अन्य डिजिटल सामग्री की व्यापक रूप से पहचान करें, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 24/07/2026 के आदेश के अंतर्गत बिना सक्षम पूर्व अनुमति के सोशल मीडिया, यूट्यूब अथवा किसी अन्य डिजिटल मंच पर पोस्ट, पुनः पोस्ट, अपलोड, प्रसारित, संग्रहित अथवा होस्ट की गई है।

b) ऐसी समस्त वीडियो/सामग्री को संबंधित सोशल मीडिया एवं डिजिटल मंचों के नोडल/शिकायत निवारण अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर तत्काल हटवाया जाए, तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि माननीय

NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत ऐसी सामग्री किसी भी डिजिटल मंच पर उपलब्ध न रहे।

c) केवल संस्थान द्वारा प्रस्तुत पत्र के संलग्नकों में संदर्भित वीडियो/लिंक्स तक कार्रवाई को सीमित न रखते हुए, सभी संबंधित अधिकारी/विभाग स्वयं भी ऐसी अन्य सभी वीडियो, सोशल मीडिया एकाउंट, पोस्ट एवं डिजिटल सामग्री की पहचान कर उन्हें हटवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का व्यापक एवं प्रभावी अनुपालन हो सके।

d) ऐसी न्यायालयीन वीडियो/सामग्री से हो रहे किसी भी प्रकार के मुद्रीकरण (Monetisation) अथवा आर्थिक लाभ को तत्काल रोकने तथा भविष्य में ऐसी सामग्री के पुनः अपलोड, पुनः प्रसारण, होस्टिंग अथवा मुद्रीकरण को रोकने के लिए आवश्यक तकनीकी, प्रशासनिक एवं विधिक उपाय सुनिश्चित किए जाएँ।

e) जिन सोशल मीडिया एकाऊन्ट, यूट्यूब चैनलों अथवा अन्य डिजिटल मंचों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद ऐसी सामग्री को अपलोड, पुनः अपलोड, प्रसारित अथवा मुद्रीकृत (Monetise) किया जा रहा है, उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए।

संस्थान का यह पत्र किसी व्यक्ति अथवा किसी विशिष्ट सोशल मीडिया खाते के विरुद्ध नहीं, बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के प्रभावी अनुपालन, न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा तथा न्यायिक कार्यवाहियों के अनाधिकृत व्यावसायिक उपयोग को रोकने के व्यापक जनहित में प्रस्तुत किया जा रहा है। संस्थान को विश्वास है कि शासन इस विषय की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल समन्वित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST

भवदीय,

कृष्णकान्त

(अध्यक्ष)

संलग्नक :–

1– माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 751/2026 में दिनांक 24/07/2026 को पारित आदेश की प्रति।

2– संस्थान के संज्ञान में आई न्यायालयीन कार्यवाहियों की रिकॉर्डेड/लाइव–स्ट्रीमिंग वीडियो, क्लिप्स का विवरण/प्रतियाँ, जो वर्तमान में विभिन्न सोशल मीडिया एवं डिजिटल मंचों पर उपलब्ध हैं।